

राजस्थान सरकार
चिकित्सा शिक्षा (गुप-1) विभाग

क्रमांक : प.1(14)एमई/गुप-1/2019

जयपुर, दिनांक : 1-8 MAY 2020

आदेश

राजस्थान चिकित्सा सेवा (महाविद्यालय शाखा) नियम, 1962 के नियम- 31 के अनुसार जेरियाट्रिक्स मेडिसिन विशिष्टता में नियमित रूप से नियुक्त चिकित्सक शिक्षकों की दिनांक 01.04.2020 की स्थिति के अनुसार अस्थाई वरिष्ठता सूची एतद्वारा जारी की जाती है। यदि कोई चिकित्सक शिक्षक इससे परिवेदित हो, तो इसके जारी होने की तिथि से 15 दिवस में अपना अभ्यावेदन प्रमाणित दस्तावेजों सहित इस विभाग को निश्चित रूप से प्रेषित कर दें। निर्धारित समयावधि के उपरान्त प्राप्त होने वाले अभ्यावेदनों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा एवं अन्तिम वरिष्ठता सूची जारी कर दी जावेगी:-

सहायक आचार्य

क्र.सं.	नाम चिकित्सक शिक्षक	वर्ग	जन्म तिथि	नियुक्ति तिथि/कार्यग्रहण तिथि
1.	डॉ० लक्ष्मीकान्त गोयल	सामान्य	02.04.1982	04.08.2017 (प्रथम नियुक्ति पर कार्यग्रहण तिथि)
2.	डॉ० मंयक श्रीवास्तव	सामान्य	15.10.1977	30.08.2017 (प्रथम नियुक्ति पर कार्यग्रहण तिथि)
3.	डॉ० आत्माराम छिम्पा	अपिव	02.07.1978	17.08.2017 (प्रथम नियुक्ति पर कार्यग्रहण तिथि)
4.	डॉ० अनुराग लोहमरोड	अपिव	22.10.1981	01.09.2017 (प्रथम नियुक्ति पर कार्यग्रहण तिथि)
5.	डॉ० सुभाष चन्द्र गौड	अजा.	15.03.1981	18.08.2017 (प्रथम नियुक्ति पर कार्यग्रहण तिथि)

आज्ञा से,

(सुनील शर्मा) 01/5/2020

संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग।
2. प्रधानाचार्य एवं नियन्त्रक, मेडिकल कॉलेज, जयपुर/जोधपुर/अजमेर/बीकानेर/कोटा/उदयपुर।
3. सम्बन्धित चिकित्सक शिक्षक द्वारा प्रधानाचार्य एवं नियन्त्रक मेडिकल कॉलेज।
4. ए.सी.पी. चिकित्सा शिक्षा विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
5. रक्षित पत्रावली।

1/5/20

08.05.2020
(रमेश चन्द्र आर्य)

शासन उप सचिव